

आदेश की
तिथि

हस्ताक्षरयुक्त आदेश

कार्यालय
अभ्युक्ति

30.01.2024

वाद संख्या-67/2023


अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती निर्मला देवी, पोडैयाहाट, जिला-गोड्डा अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा अनुपस्थित।

आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को निर्देश देता है कि इस वाद में शिकायतकर्ता के शिकायतों का निदान कर अपना विस्तृत प्रतिवेदन अगली सुनवाई में आयोग के समक्ष पेश करें। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक-28.02.2024 को निर्धारित की जाती है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक-28.02.2024 को रखें।



(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।



(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।